राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 4.1.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4.1.2016 को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों को 5.00 लाख से अधिक के कार्यो की सूची विशेष रूप से (सीसी रोड एवं इण्टरलॉकिंग ब्लॉक्स के कार्य) योजना प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, आवास को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों की बैठक मुख्यालय पर बुलायी जाए तथा उन्हें निरीक्षण हेतु कार्यो की सूची उपलब्ध करायी जाए।

   (एसई,आईएवाई)

2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट के लिए प्रपत्र अ,ब,स,द पूर्ण कर यूओ नोट पंचायतीराज विभाग को शासन सचिव महोदय की ओर से भिजवाया जाए।

- आवास योजना में अब तक 100093 रजिस्ट्रेशन के विरूद्ध 76000 की स्वीकृति जारी कर 60681 परिवारों को प्रथम किश्त रिलीज की गयी। मस्टररोल जारी करने के संबंध में आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा के साथ अलग से बैठक बुलायी जाए।
- अन्य चिन्हित वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य 1561 के विरूद्ध 1061 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिलों को 3000 तक की सीमा तक स्वीकृतियॉ जारी कर राशि का हस्तानान्तरण कराने के निर्देश दिये गये।
- ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 की समस्याओं के संबंध में दि0 6.1.2016 को प्रातः 4.30 बजे समिति कक्ष में बैठक रखी जाए।
- बीएसआर पर सामग्री क्रय करने का परिपत्र वित्त विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- आवास की फोटो को लाभार्थी /आवास सहायक द्वारा ई–मित्र से अनिवार्य रूप से अपलोड करने हेतु जिलों को आदेश जारी करावें।
- करौली जिले की विजिट रिपोर्ट के संबंध में आवास योजना के लाभार्थी को पत्र जारी कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। दि0 12.01.2016 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को मुख्यालय पर बुलाये जाने के आदेश जारी करें।

(एसई,आईएवाई)

3. 902 ग्राम पंचायतों में सामग्री टेण्डर नहीं हुए है। जिला उदयपुर, अलवर, बांसवाडा एवं जयपुर में सबसे ज्यादा सामग्री के टेण्डर पैन्डिंग है। इस हेतु संबंधित सीईओ को

शासन सचिव से की ओर से पत्र जारी करावें। आगामी वित्तीय वर्ष में समय पर दर अनुसूची बने एवं सामग्री की निविदा निर्धारित हों की नियमित समीक्षा की जावे।

(एसई अभि0/ वित्तीय सलाहकार)

4. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 186 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावें। एमएलए लैड/एमपी लैड में कार्यो की अनुशंषा आईडब्ल्यूएमएस में फीड करने हेतु मा0 सांसद/विधायकगणों को लॉगिंन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करावें। इस हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से पत्र जारी करावें। राज्य को 50 करोड रूपये एसएजीवाई/एमएजीपीवाई में उपलब्ध हैं। जिलों को आवंटित राशि के दुगने तक स्वीकृतियॉ जारी करने के निर्देश जारी करावें।

(पीडी,एसएपी)

5. सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना के परिपत्र विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किया जाए।

(पीडी,एसएपी)

6. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत एवं सांसद आदर्श ग्राम पंचायत की कार्यशाला पाली में 7.1.2016, जोधपुर में दिनांक 8.01.2016, कोटा में 11.01.2016 एवं उदयपुर में 12.01.2016 को रखी जाए। कार्यशाला में भाग लेने वाले जिलों की सूचना से अवगत करायें।

(पीडी,एसएपी)

7. ग्रामीण विकास की योजनाओं में कन्टीनजेन्सी को स्पष्ट करने हेतु बैठक हो गयी है। बैठक में हुई चर्चानुसार पत्रावली प्रस्तुत करें।

(सं0शा0सचिव,प्रशा.)

8. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि के शीघ्र उपयोग के संबंध में आरएसएलडीसी के साथ बैठक दि0 5.1.2016 को आयोजित की जाए तथा नक्शा व टेण्डर के लिए ईओआई जारी किया जाए। नये निर्देशों से जिलो को अवगत कराया जाए।

(पीडी एसएपी)

9. विधान सभा के 12 प्रश्न लम्बित है। मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग के –7 व एसएपी अनुभाग के –3 एवं आवास के –2 लम्बित प्रश्नों का निस्तारण कराये।

(योजना प्रभारी)

10. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर समीक्षा की जाएगी। इस हेतु इस माह दि0 11.1.2016 को परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद की बैठक मुख्यालय पर आयोजित करने के निर्देश दिये।

(वित्तीय सलाहकार)

11. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का

उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावें। जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे।

(पीडी एसएपी / प्रभारी श्री योजना)

12. गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) हेतु निजी प्रयोगशालाओं की रेट लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अवगत कराया जावे।

(एसई, आईएवाई)

13. जिलों में ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में नियुक्त अधिशाषी अभियन्ताओं के पदों को रेशनलाईजेशन किये जाने की कार्यवाही की जाए।

(संयुक्त शा.स. प्रशासन)

14. 15–15 आईसी कॉर्डिनेटर लगाये गये है इनका उपयोग विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार करने हेतु एक बैठक रखी जाए।

(एसई, आईएवाई)

15. सामाजिक अंकेक्षण हेतु अलग से एक प्रतिशत खर्चे का प्रावधान हेतु निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के साथ बैठक रखी जाए तथा आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु उदयपुर से फीडबैक प्राप्त कियाजाए।

(एसई,आईएवाई)

16. विभिन्न योजनाओं में मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करायी जाए।

(एसई, आईएवाई)

17. महात्मा गांधी नरेगा योजना में कॉल सेंटर का उपयोग विभाग की विभिन्न योजनाओं में किया जाए।

(सं0शा0सचिव,प्रशा.)

18. आई डब्ल्यू एम एस के माध्यम से योजनाओं का रिव्यू किया जाए तथा आगामी बैठकों में सीईओ द्वारा आईडब्ल्यूएमएस के माध्यम से ही प्रजेन्टेशन दिया जाएगा।

(प्रोग्रामर)

19. क्षेत्रीय योजनाओं में 2013–14 एवं 2014–15 की स्वीकृतियों के व्यय पर अधिक ध्यान दिया जाए।

(योजना प्रभारी)

20. सीएसआर के लिए आयुक्त उद्योग के साथ जिला बारां, धौलपुर एवं झालावाड के लिए विशेष सहायता के लिए इस माह में बैठक आयोजित की जाए। बैठक एजेण्डा प्रस्तुत करें।

(पीडी, मोएवंमू)

21. बांसवाडा,डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले में आवास/एमएलएलैड की समीक्षा हेतु मुख्यालय से पीडी एवं पीओ को भेजा जावे। अनियमितता पायी जाने पर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/बीडीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।

(पीडी,मोएवंमू)

22. एमपी/एलएलए लैड योजना की जानकारी मा0 सांसदों/विधायकों को मुख्यालय से दी जाए।

(पीडी,मोएवंमू)

23. एसएजीवाई/एमएजीपीवाई को महात्मा गांधी नरेगा साफ्टवेयर में शामिल करने हेतु भारत सरकार को पत्र भिजवाया जाए।

(पीडी, एसएपी)

24. एनआईसी को समिति कक्ष में वीसी को सैटअप तैयार करने हेतु प्रस्ताव भिजवाया जाये। इस हेतु होने वाला व्यय आवास योजना से किया जायेगा। राशि का हस्तानान्तरण एनआईसी को कर दिया गया है, आगामी कार्यवाही करावें।

(एसई,आवास)

25. अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) जिला परिषद की बैठक 11 जनवरी 2016 को आयोजित की जाये। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।

(पीडी,एमएण्डई)

26. पंचायतीराज से तीन योजनाओं को आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में डालने हेतु दि0 6.1.2016 को श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, पं0राज से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करावें।

(पीडी,मोएवंमू)

27. एसई, आवास के पद को परियोजना निदेशक में परिवर्तित करने हेतु तथा परियोजना निदेशक के पद को एक ग्रेड–पे कम किया जाए।

(सं0शा0सचिव,प्रशा.)

28. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूरबन मिशन के तहत कलस्टर चयन की प्रगति से अवगत कराया जाए।

(पीडी,एमएण्डई)

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)